न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

राजस्व वाद संख्या 36/2017

निर्णय दिनांकः– 25.05.2017

उनवान्

1. भंवर लाल पुत्र बालू जाति यादव नि0 नैनस्या हाल नि0 निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. बद्री } पुत्रान बालू जाति यादव नि0 नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर।
3. जगदीश

वादीगण

बनाम

1. बंशी देवी पुत्री बालूराम पत्नि रामेश्वर जाति यादव नि0 नैनस्या तह0 फागी हॉल नि0 गोविन्दपुरा तह0 सांगोनर जिला जयपुर।
2. मंगली देवी पुत्री बालूराम पत्नि किशोर जाति यादव नि0 नैनस्या तह0 फागी हॉल नि0 राणोली तह0 पीपलू जिला टोक।
3. सायर देवी पुत्री बालूराम पत्नि रामावतार जाति यादव नि0 नैनस्या तह0 फागी हॉल नि0 तलोज तह0 लालसोट जिला दौसा।
4. नीर देवी पुत्री बालूराम पत्नि रूपा जाति यादव नि0 नैनस्या तह0 फागी हॉल नि0 हरवंशपुरा तह0 फागी जिला जयपुर।
5. हंसा देवी पुत्री बालूराम पत्नि रतन जाति यादव नि0 नैनस्या तह0 फागी हॉल नि0 सी0 29 डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर।
6. चन्दा देवी पुत्री जगदीश यादव पत्नि रामरतन जाति यादव नि0 खेडी तहसील सांगानेर हॉल नि0 भोज्याण्ड तह0 चाकसू जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक

निर्णय दिनांक – 25.05.17

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 752 रकबा 1 बिस्वा में 1/9 हिस्सा, खाता संख्या 381 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 127 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा में 1/8 हिस्सा व इसी खाते के ख0न0 204/4 (तकासमानुसार) रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में 1/4 हिस्सा वाके ग्राम निमेडा तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० में स्थित है, हक त्याग दिनांक 9.01.2017 के अनुसार वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का हक त्याग कर दिया है वादीगण के पक्ष में 5 बहिनों ने हक त्याग कर दिया एवं स्व0 मोहन की पूर्व पत्नी चन्दा देवी ने दुसरी जगह पुर्न विवाह कर लिया है इसलिये उक्त आराजी की घोषणा वादीगण के पक्ष में की जानी आवश्यक है। स्व0 मोहन की पत्नी चन्दा देवी नाऔलाद ही दुसरी जगह पुर्नविवाह कर लिया तथा वह वर्तमान में भोज्याण्ड तह0 चाकसू में अपने वर्तमान पति के साथ निवास कर रही है। इसलिये उक्त आराजी में चन्दा देवी का कोई हक नही है। इसलिये वादीगण को उक्त हिस्सेनुसार आराजी का खातेंदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोंचित है।

लगातार.............2

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

अतः श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आराजी में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई।

प्रतिवादीगण समस्त उपस्थित आये। चन्दा देवी पुत्री जगदीश पत्नि रामरतन यादव नि0 खेडी तहसील सांगानेर हॉल नि0 भोज्याण्ड तह0 चाकसू जिला जयपुर ने इकबालिया जबाब पेश किया तथा अपने जबाब में बताया की मोहन पुत्र बालू जाति यादव उतरदाता का पति था जिसका स्वर्गवास हो चुका है एवं उतरदाता ने पुर्नविवाह रामरतन यादव के साथ कर लिया है। मोहन पुत्र बालू की सम्पति में मेरा कोई हक व अधिकार नही है। उक्त आराजी वादीगण भंवरलाल, बद्री , जगदीश पुत्र बालू के नाम कर दी जावे तो उतरदाता को कोई आपत्ति नही है। उक्त आराजी का वादीगण के मुताबिक हकत्याग दिनांक 09.01.2017 के अनुसार नामान्तकरण खोला जावे तो उतरदाता को कोई आपत्ति नही है।

पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया की स्व0 मोहन लाल यादव की मृत्यु पूर्व में दिनांक 08.12.2016 को हो चुकी है। तथा ग्राम पंचायत लसाडिया द्वारा जारी सिजरा प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है कि स्व0 मोहन लाल के वादीगण व प्रतिवादीगण के अलावा अन्य को वारिसान नही है। चन्दा देवी पुत्री जगदीश पत्नि रामरतन यादव नि0 खेडी तहसील सांगानेर हॉल नि0 भोज्याण्ड तह0 चाकसू जिला जयपुर ने भी अपने पूर्व पति मोहन की सम्पति पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नही होने बाबत शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया है। व चन्दा देवी के अन्य दस्तावेज राशनकार्ड व आधार कार्ड में उसके पति का नाम रामरतन अंकित है। व हकत्याग दिनांक 09.01.2017 के अनुसार वादीगण की सभी बहिनो ने भी वादीगण के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। तथा राजीनामा में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर प्रतिवादीगण ने कोई आपित्त प्रकट नही की।

इसलिए उपरोक्त के विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 752 रकबा 1 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 381 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 127 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा में 1/8 हिस्सा व इसी खाते के ख0न0 204/4 (तकासमानुसार) रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में 1/4 हिस्सा वाके ग्राम निमेडा तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० में स्थित आराजी में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2017 लोक अदालत/ फोलोअप कोर्ट केम्प फागी में खुले इजलास सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

भंवर लाल पुत्र बालू जाति यादव नि0 नैनस्या हाल नि0 निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर वगै0

बनाम

बंशी देवी पुत्री बालूराम पत्नि रामेश्वर जाति यादव नि0 नैनस्या तह0 फागी हॉल नि0 गोविन्दपुरा तह0 सांगोनर जिला जयपुर वगै0

::– वाद घोषणात्मक ::–

मुकदमा नं0 – 36/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण हाजिरी रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 752 रकबा 1 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 381 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 127 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा में 1/8 हिस्सा व इसी खाते के ख0न0 204/4 (तकासमानुसार) रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में 1/4 हिस्सा वाके ग्राम निमेडा तहसील फागी, जिला जयपुर, राज० में स्थित आराजी में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह...फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/05/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....................

मुहर

ओहदा...................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—Nil—		फीस कमीश्नर	—Nil—	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर
फागी जिला जयपुर